भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 11/2024–25
दिनांकः 6 मई, 2024

विषयः राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से खाद्य वस्तुओं का निर्यात।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 20.07.2023 की अधिसूचना सं. 20/2023 के पैरा 2 (iv) में निहित प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से निम्नलिखित खाद्य वस्तुओं का निर्यात अनुमत करती है:–

क्र.सं.	वस्तु का नाम	एचएस कोड	देश का नाम	मात्रा
1	गैर–बासमती सफेद चावल	1006 30 90	मॉरीशस	14,000 मी.ट.

अधिसूचना का प्रभावः

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से मॉरीशस को 14,000 मी.ट. गैर–बासमती सफेद चावल का निर्यात अनुमत किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी
6.5.2024
(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/171/35/एएम23/ईसी/ई–33537 से जारी)